DHARAMVEER AWANA
Municipal Councillor
South Delhi Municipal Corporation

No. : ....
Dated : ....

आदरणीय श्री कमलनाथ जी,

दिनांक : 04.05.2012

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले मीठापुर नगर निगम वार्ड एवं जैतपुर नगर निगम वार्ड को वर्ष 2010 में ओ-जोन में सम्मिलित कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप इन नगर निगम वार्डों के गांव मीठापुर, गांव जैतपुर एवं गांव हरिनगर के हजारों निवासी लाल डोरा के अंदर भी अपनी निजी जमीन पर न तो अपने मकान बना सकते हैं और न ही अपने मकानों की मरम्मत तक करा सकते हैं। ये तीनों गांव सैकड़ों साल पुराने हैं।

साथ ही, उपरोक्त तीनों गांवों की खेती-बाड़ी की जमीन पर बसी अनधिकृत कॉलोनियों को भी ओ-जोन में सम्मिलित कर दिया गया है। ये अनधिकृत कॉलोनियों हैं : मीठापुर विस्तार सौरभ विहार, ओम नगर, सांई नगर, शिवपुरी सौरभ विहार, हरिनगर एक्सटेंशन, जैतपुर पार्ट-1 पार्ट-2 आदि। इन अनधिकृत कॉलोनियों में 90 से 95 प्रतिशत तक बिल्ट-अप एरिया है और सभी मकान निजी जमीन पर बने हुए हैं। ओ-जोन में आ जाने के कारण, इन कॉलोनियों में भी लोग अपनी निजी जमीन पर न तो मकान बना सकते हैं और न ही अपने मकानों की मरम्मत ही करा सकते हैं।

उपरोक्त गांवों एवं अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लाखों गरीब लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हुए, जिनमें अधिकतर कमजोर वर्ग के लोग हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि मीठापुर वार्ड एवं जैतपुर वार्ड के गांवों एवं अनधिकृत कॉलोनियों को ओ-जोन से निकलवाने की कृपा करें। हम आपके आभारी रहेंगे।

सादर,

भवदीय

(धर्मवीर अवाना)
निगम पार्षद, मीठापुर वार्ड

OFFICE OF THE DIR (Plg.)
MPR/TC, D.D.A. N. DELHI-2
Dy.No....3089
Dated....14/5/12

R&D CELL
VIKAS SADAN
Dy. No....2355
Date....4/5/12

श्री कमलनाथ जी,
माननीय केंद्रीय शहरी विकास मंत्री
भारत सरकार, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः
श्री सुभाष चौपड़ा, विधायक एवं सदस्य, दिल्ली विकास प्राधिकरण।

H.No. 181 C, Meethapur Village, Badarpur, New Delhi-110044. Mob:9818182324